



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230130
CG-DL-E-04102021-230130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]
No. 569]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 711(अ).— केंद्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा

(1) और उप-धारा (2) के खंड (य) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभागों की वसूली) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "विनिर्दिष्ट अंतर-राज्यीय उपभोक्ता" से अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली) के किसी तत्व का प्रयोक्ता अभिप्रेत है और इसमें उत्पादन स्टेशन, राज्य पारेषण यूटिलिटी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य विद्युत बोर्ड और इसकी उत्तराधिकारी कंपनी, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का विद्युत विभाग, थोक उपभोक्ता और अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी कोई संस्था शामिल होगी;

(ग) "जनरल नेटवर्क एक्सेस" से विनिर्दिष्ट अंतर-राज्यीय उपभोक्ता द्वारा मांग की गई और केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रदान की गई मेगावाट में और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, यथास्थिति, अधिकतम अंतःक्षेपण अथवा निकासी के लिए अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली में अविभेदकारी पहुंच अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त एवं अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. योजना और अनुमोदन :- (1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अगले पांचवर्षों तक रोलिंग आधार पर प्रत्येक वर्ष अल्प अवधि योजना और अगले दस वर्षों के लिए रोलिंग आधार पर प्रत्येक परस्पर वर्ष के लिए भावी योजना बनाएगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए और अधिनियम की धारा 73 के उपाबंधों के अनुसार विश्वसनीय और वहनीय विद्युत प्रदान करने के लिए योजना अभिकरणों की गतिविधियों से समन्वय करेगा।

(2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण पारेषण प्रणाली के विकास के लिए सभी सुसंगत पणधारकों जैसे केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, राज्य पारेषण यूटिलिटी, प्रणाली प्रचालकों, उत्पादन और वितरण कंपनियों, औद्योगिक संघों और राज्य सरकारों आदि के सुझाव के बाद और देश के विभिन्न क्षेत्रों में मांग में वृद्धि दरों और उत्पादन में वृद्धि के मूल्यांकन के बाद भी भावी योजना बनाएगा।

(3) केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी विशेष पारेषण परियोजनाओं जिनका कार्यान्वयन क्रमविकास के साथ शुरू किए जाने की जरूरत है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजनाओं पर विचार करने के बाद और देश के विभिन्न भागों में उत्पादन क्षमता तथा मांग में वृद्धि का अध्ययन करने के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं द्वारा किए गए जनरल नेटवर्क एक्सेस अनुरोधों, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के किसी भी भाग में किसी भी संकुलन के किसी संकेत तथा पारेषण गलियारों के विकास के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयों का संज्ञान लेने के बाद विशिष्ट पारेषण परियोजनाओं को अभिचिन्हित करके अगले पांच वर्षों के लिए रोलिंग आधार पर प्रत्येक वर्ष अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए योजना बनाएगी। इस योजना को तैयार करने के लिए, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, राज्य पारेषण यूटिलिटी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, उत्पादन कंपनियों, क्षेत्रीय विद्युत समितियों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, प्रणाली प्रचालकों, अनुज्ञप्तिधारियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से अधिसूचित किसी अन्य व्यक्ति के साथ परामर्श करेगा।

(4) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह राज्यों और उत्पादकों को उनकी जनरल नेटवर्क एक्सेस मांगों द्वारा यथा प्रतिबिंबित है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध है और आयोजना ऐसी होनी चाहिए कि पारेषण प्रणाली की उपलब्धता में कमी विभिन्न क्षेत्रों के विकास में गतिरोध की तरह कार्य नहीं करे। पारेषण प्रणाली को, जहां तक संभव है, उत्पादन और भार की वृद्धि के अनुरूप योजनाबद्ध तथा विकसित किया जाएगा और योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई अनावश्यक निवेश न हो।

(5) केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा बनाई गई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय पारेषण समिति के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रीय पारेषण समिति में प्रत्येक क्षेत्रीय विद्युत समिति के एक नामिती को भी शामिल किया जाएगा और परियोजनाओं को उनके कार्यान्वयन के क्रमविकास के साथ, राष्ट्रीय पारेषण समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पारेषण समिति की सिफारिश की प्रतीक्षा के बिना किसी भी पारेषण परियोजना को अनुमोदित कर सकेगी जिसे प्रणाली अथवा सामरिक दृष्टि से आवश्यक माना गया है।

4. कनेक्टिविटी :- (1) उत्पादन अथवा वितरण कंपनियों अथवा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली उपभोक्ताओं को नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा और वे किसी भी उत्पादक अथवा वितरण कंपनी अथवा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबद्ध इकाई को विद्युत की बिक्री अथवा उनसे खरीद करने में समर्थ होंगे और समुचित आयोग जनरल नेटवर्क एक्सेस को विनियमित करने के लिए समुचित विनियम जारी करेगा।

(2) जनरल नेटवर्क एक्सेस में पारगमन करते समय, विनिर्दिष्ट अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं को प्रदत्त अथवा मान्य प्रदत्त सभी मौजूदा दीर्घावधिक पहुंच को उस विनिर्दिष्ट अंतर-राज्यीय उपभोक्ता के लिए संस्वीकृत जनरल नेटवर्क एक्सेस विचार किया जाए, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो।

(3) जनरल नेटवर्क एक्सेस विशिष्ट क्षमता के लिए आवेदित और प्रदान किया जाएगा और जनरल नेटवर्क एक्सेस विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(4) केन्द्रीय आयोग समय-समय पर विनियमों द्वारा ऐसी अवधि जिसके लिए जनरल नेटवर्क एक्सेस दी जा सकती है, और उसकी प्रक्रिया तथा फीस का निर्धारण विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रणाली की लागत संयोजित इकाई द्वारा वहन की जाएगी और प्रणाली के सुदृढीकरण की लागत प्रणाली लागत का हिस्सा होगा और टैरिफ में वसूली जाएगी।

5. अंतरराज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली :-(1) संपूर्ण अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को एकही एकीकृत प्रणाली माना जाएगा और जनरल नेटवर्क एक्सेस की मांग करने वाला कोई भी विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ता केन्द्रीय आयोग द्वारा यथा निर्धारित एकमुश्त जनरल नेटवर्क एक्सेस प्रभार का भुगतान करेगा:

परंतु विद्यमान दीर्घकालिक पहुंच मात्रा वाले विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ता को कोई एकमुश्त जनरल नेटवर्क एक्सेस प्रभार का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

(2) सभी विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ता एकमुश्त जनरल नेटवर्क एक्सेस प्रभार के अलावा मासिक पारेषण प्रभार के रूप में केन्द्रीय आयोग द्वारा नियत प्रति मेगावाट टैरिफ, यथा प्रयोज्य, का भुगतान करेंगे।

(3) जहां कोई विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ता जनरल नेटवर्क एक्सेस को, पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से, त्यागना चाहता है, केन्द्रीय आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट त्याग प्रभार का अग्रिम भुगतान करने, ऐसा कि अन्य विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं पर इसका भार नहीं डाला जाएगा, के अध्यक्षीन अनुमति दी जाएगी और विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ता द्वारा जनरल नेटवर्क एक्सेस के पूर्णरूप से त्यागने पर, इसे अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से वियोजित कर दिया जाएगा।

(4) मासिक पारेषण प्रभारों का भुगतान सभी विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं द्वारा केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित दरों के आधार पर प्रति मेगावाट पर किया जाएगा।

(5) विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं द्वारा उनके लिए स्वीकृत अथवा उनके द्वारा निकाली गई अथवा अंतःप्रक्षेपण की गई जनरल नेटवर्क एक्सेस क्षमता, यथास्थिति, जो भी अधिक हो, के लिए मासिक पारेषण प्रभार का भुगतान किया जाएगा और स्वीकृत क्षमता के भीतर सभी निकासी अथवा अंतःप्रक्षेपण सामान्य दर पर होंगे और स्वीकृत क्षमता से अधिक निकासी अथवा अंतःप्रक्षेपण के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर कम से कम 25% अधिक प्रभार लिया जाएगा।

(6) पारेषण प्रभारों को इस रीति से उद्गृहीत जाएगा कि कुल पारेषण प्रभार पूरी तरह से वसूल हो जाएं और केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी से उत्पादन अथवा पारेषण क्षमता में वृद्धि अथवा कमी और जनरल नेटवर्क एक्सेस उपभोक्ताओं की संख्या अथवा क्षमता के बारे में रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के बाद हर महीने कुल अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का टू-अप करेगा।

(7) पारेषण प्रभारों का भुगतान करने की देयता, जनरल नेटवर्क एक्सेस के चालू होने की तारीख से प्रभावी होगी।

(8) केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी इस संबंध में केन्द्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार बिलिंग, संग्रहण और पारेषण प्रभारों के संवितरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) केन्द्रीय आयोग अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों के उपाबंधों के अनुसार कानूनी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी के लिए फीस और प्रभार संबंधी विनियम तैयार करेगा।

(10) जनरल नेटवर्क एक्सेस क्षमता, अथवा उसके किसी भाग को केन्द्रीय आयोग द्वारा यथा प्रदत्त ऐसी रीति से किसी अन्य विनिर्दिष्टित अंतर-राज्यीय उपभोक्ता को साझा अथवा बेची अथवा उससे खरीदी जा सकती है।

(11) किसी भी उत्पादक को किसी अन्य उत्पादक के स्विचयार्ड से केन्द्रीय आयोग द्वारा यथा प्रदत्त ऐसी रीति से, जोड़ने की अनुज्ञा दी जाएगी जो अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली सीधे जुड़ा है।

(12) केन्द्रीय सरकार, यदि यदि संतुष्ट हो तो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऊर्जा के अधिसूचित स्रोतों के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली प्रभारों और हानियों अधित्यक्त कर सकेगी।

[फा.सं. 3/7/2017]

मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2021

G.S.R. 711(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause(z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-State Transmission Charges) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise, requires,

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “Designated Inter-state Customer” means the user of any element of the Inter-State Transmission System and include Generating Station, State Transmission Utility, Distribution Licensee, State Electricity Board and its successor company, Electricity Department of the State and Union Territory, Bulk Consumer and any other entity directly connected to the Inter-State Transmission System;
- (c) “General Network Access” means non-discriminatory access to the Inter - State Transmission System as requested by a Designated Inter-State Customer and granted by the Central Transmission Utility for a maximum injection or drawal, as the case may be in MegaWatt and for a specific period.

(2) The words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Planning and Approvals.—(1) The Central Electricity Authority shall draw up short term plan every year on rolling basis for upto next five years and perspective plan every alternate year on rolling basis for next ten years for development of the electricity system and co-ordinate the activities of the planning agencies for the optimal utilisation of resources to subserve the interests of the national economy and to provide reliable and affordable electricity in accordance with section 73 of the Act.

(2) The Central Electricity Authority shall also draw up the perspective plan for development of transmission system after consultation with all the relevant stakeholders such as, Central Transmission Utility, State Transmission Utilities, System Operators, generating and distribution companies, industry associations and the State Governments, etc., and after assessing the rate of growth in demand as well as the growth of generation in different areas of country.

(3) The Central Transmission Utility shall draw up plan for Inter-State Transmission System for upto next five years on rolling basis every year identifying specific transmission projects which are required to be taken up along with their implementation time lines, after considering the plans made by Central Electricity Authority and studying the progress in generation capacity and demand in different parts of the country as well as taking note of General Network Access requests made by Designated Inter-state Customers, any signals of any congestion in any part of the Inter-State Transmission System and difficulties in obtaining right of way for development of transmission corridors. For preparing this plan, Central Transmission Utility shall consult with State Transmission Utilities, Central Government, State Governments, generating companies, Regional Power Committees, Central Electricity Authority, System Operators, licensees and any other person notified by the Central Government in this behalf.

(4) The principle for planning of the Inter-State Transmission System shall be to ensure that it is available as per the requirements of the States and the generators, as reflected by their General Network Access requests and the planning should be such that the lack of availability of the transmission system does not act as a brake on the growth of different regions. The transmission system shall, be planned and developed matching with growth of generation and load, as far as possible and while doing the planning, care shall be taken that there is no wasteful investment.

(5) The Inter-State Transmission System projects drawn up by Central Transmission Utility shall be placed before the National Committee on Transmission constituted by the Central Government and the National Committee on Transmission shall also include a nominee of each Regional Power Committee. The projects along with their timeline for implementation shall be approved by the Central Government after considering the recommendations of the National Committee on Transmission:

Provided that the Central Government may approve any transmission project as deemed necessary from the system or strategic point of view, without waiting for the recommendation of the National Committee on Transmission.

4. Connectivity.—(1) The Generation or Distribution Companies or Inter-State Transmission System Consumers shall be connected to the network and shall be able to sell or buy power from any Generator or Distribution Company

or Inter-State Transmission System connected entity and the Appropriate Commission shall issue appropriate regulations to regulate General Network Access.

(2) While transitioning to General Network Access, all existing Long Term Access granted or deemed granted to a Designated Inter-state Customer may be considered as sanctioned General Network Access for that Designated Inter-state Customer, unless otherwise stated.

(3) The General Network Access shall be applied for and provided for a specific capacity and the General Network Access shall be granted for a specific period.

(4) The Central Commission may specify by regulations from time to time laying down the duration for which General Network Access can be granted and the procedure and fees thereof.

(5) The costs of the connectivity system to the network shall be borne by connecting entity and the costs of strengthening of the system shall be a part of system cost and recovered in tariff.

5. Recovery of inter-state transmission charges.-(1) The entire Inter-State Transmission System shall be treated as one integrated system and any Designated Inter-state Customer seeking General Network Access shall pay the one time General Network Access charges as prescribed by the Central Commission:

Provided that existing Designated Inter-state Customers with existing Long Term Access quantum need not pay one time General Network Access charges.

(2) All Designated Inter-state Customers shall pay per Mega Watt tariff fixed by the Central Commission as monthly transmission charges in addition to one time General Network Access charges, as applicable.

(3) Where a Designated Inter-state Customer desires to relinquish the General Network Access, fully or partly, it may be allowed, subject to satisfactory grounds, upon making advance payment of reasonable relinquishment charges as specified by the Central Commission, such that other Designated Inter-state Customers are not burdened and after full relinquishment of General Network Access by a Designated Inter-state Customer, it shall be disconnected from the Inter-State Transmission System.

(4) The monthly transmission charges shall be paid by all Designated Inter-state Customers on per Mega Watt basis at the rates determined by the Central Commission.

(5) The monthly transmission charges shall be paid by the Designated Inter-state Customers for the General Network Access capacity sanctioned for them or drawal or injections as the case maybe, whichever is higher and all drawals or injections within the sanctioned capacity shall be at normal rate and excess drawal or injection over the capacity sanctioned shall be charged at rates, which are at least 25% higher, as determined by the Central Commission.

(6) The transmission charges shall be levied in such manner that the total transmission charges are fully recovered and the Central Commission shall true up the total Inter-State Transmission System charges every month after obtaining reports from Central Transmission Utility about the additions or reductions in generation or transmission capacity and the number or capacity of General Network Access Consumers.

(7) The liability to pay transmission charges, shall be effective from the date the General Network Access gets operationalised.

(8) The Central Transmission Utility shall be responsible for billing, collection and disbursement of the transmission charges as per the regulations made by the Central Commission in this regard.

(9) The Central Commission shall bring out Regulation on fees and charges for Central Transmission Utility to carry out the statutory functions as per provisions of the Act, and rules, regulations made there under.

(10) The General Network Access capacity, or part thereof, can be shared with, sold to or purchased from any other Designated Inter-state Customers in such manner as may be provided by regulations by the Central Commission.

(11) Any generator shall be allowed to be connected at the switchyard of another generator which is directly connected with Inter-State Transmission System, in such manner as may be provided by regulations by the Central Commission.

(12) The Central Government may, if it is satisfied, waive Inter-State Transmission System charges and losses for notified sources of energy for a specified duration.

[F No. 3/7/2017]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Jt. Secy.